यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नई टिहरी, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी नई टिहरी, के माह 02/2014 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुन्नाराम लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 11.12.2017 से 14.12.2017 तक श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नवीन चन्द्र शंखधर एवं श्री अजय कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08/2009 से 01/2014 तक श्री डी0एन0 मिश्रा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2006 से 07/2009 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2014 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवकों की भर्ती, सुदृढ़ीकरण, युवा महोत्सव का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्ररों से सम्बन्धित खेल विधा प्रतियोगिता, विकास खण्ड स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवक/महिल मगंल का गठन, पंजीकरण एवं मार्गदर्शन, सर्वश्रेण्ठ युवक/महिला मंगल दलों को विवेकानन्द यूथ एवार्ड़ के अन्तर्गत प्रोत्साहित किया जाना, खेल मैदान का विकास एवं स्वयं सेवकों को विभिन्न विभागों में कार्य निष्पादन हेतु ड्यूटी लगायी जाती है। कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त टिहरी जनपद है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	--	--	76.24	70.95	124.00	124.00	--	5.29
2015-16	--	--	87.86	87.86	188.49	188.49	--	00
2016-17	--	--	172.07	75.82	192.31	186.56	--	102.00
2017-18 (11/2017 तक)	--	--	44.30	32.99	113.46	64.69	--	60.08

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. अपर सचिव 3. निदेशक 4. वित्त नियंत्रक 5. संयुक्त निदेशक 6. उप निदेशक 7. सहायक निदेशक 8. सहायक समादेष्टा 9. सहायक लेखाधिकारी 10. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।

2. जनपद स्तरः- 1. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी 2. व्ययायाम प्रशिक्षक 3. प्रशामनिक अधिकारी 4. कनिष्ठ सहायक।

3. विकास खण्ड स्तरः- 1. क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी नई टिहरी, को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी नई टिहरी, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 एवं मार्च 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी नई टिहरी, का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी नई टिहरी, के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर **01 :-** पायका योजनान्तर्गत योजना समाप्त के बाद भी **12** खेल मैदानों के निर्माण हेतु स्थल अप्राप्त होने से निर्माण न होना एवं **₹ 95.00** लाख के व्यय से निर्मित खेल मैदानों के निष्क्रिय होने से निष्फल व्यय।

भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा देश कि 75% आबादी जो कि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, प्रारम्भिक खेल सुविधाओं को उपलब्ध करने हेतु राष्ट्रीय युवा नीति-2001 के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं पर खेल गतिविधियों को बढाने हेतु पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) प्रारम्भ किया गया। उक्त योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर छोटे खेल मैदान ₹ 1.00 लाख की लागत एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर ₹ 5.00 लाख की लागत से तैयार कराये जाने थे।

जनपद नई टिहरी में योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक ₹ 5.00 करोड़ की लागत से 475 छोटे मैदान एवं 5 मैदान क्षेत्र पंचायत स्तर पर निर्मित कराये गए। जाँच में पाया गया कि दिनांक 22.07.2017 की पायका मैदानों कि स्थितिवार आख्या के अनुसार 90 छोटे मैदानों एवं एक क्षेत्र पंचायत स्तर के एक मैदान की वर्तमान स्थिति निष्क्रिय थी, इस प्रकार कुल 95.00 लाख की लागत से तैयार मैदान उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त 12 खेल मैदानों का निर्माण कार्य स्थल प्राप्त न होने के कारण प्रारम्भ ही नहीं किया जा सका जबकि योजना बंद हो चुकी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओं के रखरखाव का बजट प्राप्त न होने के कारण समय के साथ मैदानों कि स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जिस कारण मैदान उपयुक्त नहीं रह गए एवं स्थल अप्राप्त की वजह से निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा इस संबंध में कभी उच्चाधिकारियों को सूचित नहीं किया गया एवं स्थल उपलब्ध कराना इकाई का उत्तदायित्व था।

इस प्रकार रखरखाव के अभाव में ₹ 95.00 लाख के व्यय से निर्मित मैदानों के निष्क्रिय/निष्फल होने एवं योजना बंद होने के बाद भी 12 मैदानों के स्थल अप्राप्त होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **01** :- एमओयू न कराए जाने से विभाग की अनदेखी कर कार्यदायी संस्था की मनमानी से कार्य अपूर्ण।

शासनादेश सं0 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15/12/2008 के अनुसार, कार्यदायी सस्था के साथ प्रत्येक निर्माण कार्य को आवंटित करते समय एमओयू हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायत बेरगनी के अंतर्गत ग्राम पाली चैक देवता में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा इकाई के अनुरोध पर दिनांक 07/09/2015 को ₹ 37.24 लाख का आगणन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 05/04/2016 को निदेशालय के पत्रांक 12/लेखा कैश/2015-16 द्वारा ग्रामीण निर्माण विभाग टिहरी गढ़वाल को उक्त कार्य हेतु ₹ 37.24 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ₹ 10.00 लाख अवमुक्त किए गए। दिनांक 22/06/2016 को पुनः उक्त कार्य हेतु अवशेष धनराशि ₹ 27.24 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिय गए। दिनांक 02/07/2016 को उक्त निर्माण कार्य में अतिरिक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा ₹ 46.65 लाख का आगणन प्रस्तुत किया गया जिसे निदेशालय को अग्रेषित कर दिया गया एवं अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली की जांच में पाया गया कि मई 2017 की कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गयी मासिक प्रगति आख्या के अनुसार उक्त कार्य शत प्रतिशत भौतिक प्रगति के साथ हस्तान्तरित किया जा चुका था परंतु दिनांक 12/09/2017 को कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्य के हस्तान्तरण प्रपत्र विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रेषित किए गए, जबकि दिनांक 26/092017 को विभाग द्वारा निदेशालय को मिनी स्टेडियम कि वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए पत्र लिखा गया कि स्टेडियम कि दीवार पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। साथ ही पत्रावली में कार्यादायी संस्था के साथ किया गया एमओयू नहीं पाया गया।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था के साथ जनपद स्तर पर किसी प्रकार का एमओयू हस्ताक्षरित नहीं किया गया, एवं कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान को हस्तगत कराया गया। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कार्य इकाई द्वारा करवाया जा रहा था तो हस्तांतरित भी इकाई को ही किया जाना चाहिए था और इकाई द्वारा उक्त कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किया जा चुका था।

अतः स्पष्ट है कि इकाई द्वारा एमओयू न किए जाने से कार्यदायी संस्था पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल पाई और कार्यदायी संस्था एमओयू न होने से अपनी मनमानी करने को स्वतंत्र थी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **02 :- ₹ 3.38** लाख धनराशि को अपेक्षित उद्देश्य हेतु व्यय नही किया जाना।

निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, उत्तराखण्ड द्वारा युवा दलों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु वित्त वर्ष 2014-15 में पत्र सं0 1728/दो-2739/बजट-लेखा/2014-15 दिनांक 25/03/2015 के माध्यम से ₹ 1.69 लाख एवं वित्त वर्ष 2015-16 में पत्र सं0 1864/दो-2814/बजट-लेखा/2015-16 दिनांक 09/02/2016 के माध्यम से ₹ 1.69 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गई।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि उक्त धनराशियों को युवा दलों को प्रदान करने के स्थान पर पी.एल.ए. में जमा कर रखा गया है जिससे युवा दलों को लाभान्वित करने के अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति नही हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगति किये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि युवा दलों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण धनराशि व्यय नही की गई। वर्तमान में युवा दलों से प्रस्ताव प्राप्त हो गये है एवं जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदित करा लिया गया है शीघ्र ही युवा दलों को लाभान्वित कर अपेक्षित उद्देश्य को पूरा किया जायेगा। लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नही है क्योंकि उक्त धनराशियों को समय से व्यय कर लाभान्वित दलों की सूचना निदेशालय को उपलब्ध करानी थी। जिसका पालन नही किया गया।

अतः युवा दलों को आर्थिक सहायता हेतु प्रावधानित एवं उपलब्ध धनराशि ₹ 3.38 लाख को अपेक्षित उद्देश्य हेतु व्यय नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मैं लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
204/2013-14	--	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या तैयार कर सीधे कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित की जायेगी।				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री एस.के. जयराज	स. नि.	09.12.13 से 13.07.14
2.	श्री एच.एस. खत्री	जि.यु.क. एव प्रा.र.द.अ.	14.07.14 से 11.07.16
3.	श्री सुरेश सिंह गुसाई	जि.यु.क. एव प्रा.र.द.अ.	12.07.16 से 20.08.17
4.	श्री एच.एस. खत्री	जि.यु.क. एव प्रा.र.द.अ.	21.08.17 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी टिहरी गढ़वाल, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.